(b) what are the names of 3 major private sector thermal plants in the coun try, their rated capacity and percentage capacity utilisation of each of them dur ing the same period; und

(c) how the working of the private sec tor plants compares with that of the pub lic sector plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI); (a) and (b) Information in regard to the capacities and the Plant Load Factors of thermal stations in the Central, State and private sectors for the period 1984-85 to 1987-88 (April to November) is given in the annexed Statement. *[Sec* Appendix CXLIV, Annexure No. 135] .

(c) The performance of several thermal stations in the Central and State sectors compares favourably with the perform ance of thermal stations in the private sector.

Licence for PFY manufactur* to Mis-Reliance Industries

*432. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 79 given in the Rajya Sabha on the 27th July, 1987 and state:

(a) whether the amended industrial licence for manufacturing Polyester Filament Yarn has since been given to Mls. Reliance Industries; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) In August 1981, M/s. Reliance Industries Ltd. were issued an industrial licence for establishment of a new undertaking in Maharashtra for manufacture of Polyester Filament Yarn for a capacity of 10,000 tonnes/annum. This capacity was en-hanced on 15rh November, 1984 to 25,125 tonnes/annum under the re-endorsement scheme based on the highest production achieved.

टिहरी बांध

†*433. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टिहरी डैम प्रोजेक्ट नॉट इकन मिकली वायबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसका निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि टिहरी बांध परि-योजना आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम नहीं है, बांध का डिजाइन अधिकतम संभावित भूकम्पीय झटकों के लिए नहीं बनाया गया है और बांध की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ग) विशेषज्ञों की एक समिति ने टिहरी बांध परियोजना के भू-वैज्ञानिक और भूकम्पीय पहलूओं का अध्ययन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि सुरक्षित और मितव्ययी ढांचे के लिए पर्याप्त आंकड़े और अध्ययन किए गए हैं तथा परियोजना के डिजाइन और निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध है । बांध की उपयोगी आयु 100 वर्ष से अधिक होने का अनु-मान है तथा बांध के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की जांच भी कर ली गई है । परियोजना की लागत और इससे प्राप्त होने वाले लाभों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने परियोजन अनुमोदित कर दी है ।

†पूर्वत: तारांकित प्रश्न 353, 1 दिसम्बर, 1987 से स्थानान्तरित ।